डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अक्टूबर, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 अक्टूबर, 2022

| वर्ष 66 | अंक 10 | भोपाल | 16 अक्टूबर, 2022 | पृष्ठ 16 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में अपनाने से हम आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित स्वरूप में छोड़ पाएंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान

स्नातक और स्नातकोत्तर के कृषि पाठयक्रमों में जोड़ा जा रहा है प्राकृतिक खेती को

डिजिटल कृषि किसानों से संबंधित शासकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण में सहायक

मुख्यमंत्री श्री चौहान, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री वर्चुअली हुए सम्मिलित

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि के अभियान को मिशन मोड में लेने के लिए उनका आभार मानते हुए कहा है कि इस पवित्र लक्ष्य से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित स्वरूप में छोड़ पाएंगे। इन अभियानों से मानव जीवन के साथ जीव-जन्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी होगी। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में 2021 से कार्य आरंभ हुआ और अब तक 59 हजार से अधिक किसान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। डिजिटल कृषि में क्राप सर्वे, रिफेरेंस रजिस्ट्री, फार्मा रजिस्ट्री और पीएम किसान डाटा बेस का उपयोग कर प्रदेश के किसानों के हित में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर हुई बैठक में यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैठक में निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया उपस्थित थे। प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर प्रस्तुतिकरण हुआ। बैठक में मणिपुर, असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि क्षेत्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग का अमला किसानों से लगातार संपर्क में है। किसान भाई सरलता से प्राकृतिक खेती कर पाएँ, इस उद्देश्य से किसान भाइयों को देशी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिमाह 900 रूपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहे विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल कृषि के क्षेत्र में ई-उपार्जन और फसल बीमा योजना से कृषकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। किसान को घर और खेत से ही कृषि उपज विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचार एक दिशा में हों, इस उद्देश्य से आज की बैठक की गई है। प्राकृतिक खेती गाय पर आधारित परंपरागत खेती है, जो धरती के सभी तत्वों के संरक्षण पर आधारित है। एक समय यह कहा जाता था कि भारत-भूमि में दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। वर्तमान में प्राकृतिक खेती से ही यह स्थिति पुन: निर्मित होगी। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को सम्मिलित करने, कृषि विभाग के विस्तार कर्मचारियों को प्राकृतिक खेती पर किसान का सकारात्मक मानस निर्मित करने, सफल प्राकृतिक खेती वाले गाँवो में किसान का भ्रमण कराने जैसी गतिविधियों को मिशन मोड में अपनाने और गौ-शालाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का सुझाव दिया।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप ही भारत में डिजिटल कृषि से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन शुरू हो पाया है।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

उद्यानिकी फसलों के नवाचारों की किसानों को जानकारी दें - श्री कुशवाह

विभागीय समीक्षा में दिये निर्देश

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और प्र-संस्करण में हुए नवाचारों की जानकारी से किसानों को अवगत करवाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर जानकारी देने के लिये डिस्प्ले बोर्ड लगाने को कहा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने सोमवार को मंत्रालय में विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में पिछले वर्षों में काफी उन्नति हुई है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं और नवाचारों को किसानों तक पहुँचाने के लिये संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए अगले 2 सप्ताह में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोटेटो टिश्यू कल्चर लेब और फ्लोरी कल्चर गार्डन की स्थापना संबंधी कार्यों में तेजी लाई जाए। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण और लंबित विभागीय जाँच प्रकरणों में निर्धारित समय अवधि में कार्यवाही करने के लिये कहा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्री जे.एन. कंसोटिया, संचालक उद्यानिकी सुश्री निधि निवेदिता, एम.डी. एम.पी. एग्रो. श्री राजीव जैन और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय : मुख्यमंत्री

देश में सबसे पहले बुरहानपुर बना हर घर जल सर्टिफाइड जिला

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2022 पुरस्कार समारोह में देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को अनेक पुरस्कार मिले हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर घर में जल पहुँचाने के कार्य को देश में सबसे पहले करने वाले जिले के रूप में प्रदेश के बुरहानपुर जिले का चयन राष्ट्रीय उपलब्धि है। बुरहानपुर जिले को इस कार्य में देश में प्रथम आने पर मिला यह पुरस्कार उस कठोर मेहनत का नतीजा है, जिसमें जिले की पंचायतों की ग्राम सभाएँ इस कार्य को सत्यापित कर

चुकी हैं कि सभी घर, विद्यालय और आँगनवाड़ी केंद्रों में साफ और सुरक्षित पीने का पानी मिल रहा है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुरहानपुर को हर घर नल से जल पहुँचाने के संकल्प को साकार करने वाले सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह गौरव और सम्मान टीम मध्यप्रदेश के सभी सदस्यों के सतत परिश्रम एवं ईमानदार प्रयासों का प्रतिफल है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला प्रशासन, बुरहानपुर जिले के अधिकारी-कर्मचारी, जल जीवन मिशन के समस्त स्टाफ और जिले के नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मध्यप्रदेश को कृषि में अग्रणी बनाने में वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण : केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर

किसानों को लाभान्वित करने प्रदेश में हो रहे हैं समग्र प्रयास : कृषि मंत्री श्री पटेल

जवाहरलाल नेहरू कृषि वि.वि. का 59वाँ स्थापना दिवस समारोह

भोपाल : मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 59 वें स्थापना दिवस समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के समग्र प्रयास किए जा रहे हैं।

सांसद श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तन्खा, सहायक महानिदेशक (बीज) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉ. बी. के यादव भी उपस्थित रहे। स्थापना दिवस समारोह कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन की अध्यक्षता में हुआ। यह समारोह ऑनलाइन हुआ।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज मध्यप्रदेश खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इसकी बुनियाद में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के रूप में देशभर में जाना जाता है। यह मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र के लिए गौरव का विषय हैं। विश्वविद्यालय का, स्थापना से आज तक म.प्र. में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने, उन्नत बनाने और किसानों को फायदा पहुँचाने में बहुत योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को खेती-किसानी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार "किसान कर्मण अवार्ड" लगातार मिलने पर प्रदेश के किसानों, जनता और वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत बधाई।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद दर बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा किसान नवीन एफपीओ से जुड़े। इस परियोजना पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रूपये खर्च कर रही है। छोटे किसान मशीनीकरण का लाभ लेंगे, टेक्नालाजी का उपयोग करेंगे, नगदी फसलों की ओर जाएंगे और प्रोसेसिंग के साथ ही सरकारी सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उन्हें बेहतर लाभ होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक सुरक्षा कवच किसानों को उपलब्ध कराया है। बीते 6 वर्ष से किसानों को हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के रूप में 122 लाख करोड़ रूपये प्रदान किए गए हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय और योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों के समग्र सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठित किया गया है। विश्वविद्यालय में भी प्राकृतिक और जैविक खेती विभाग गठित करेंगे। साथ ही मध्यप्रदेश की कृषि फसलों की पुरानी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वैज्ञानिकों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय कृषकों की उन्नति और प्रगति के लिए समस्याओं का त्वरित समाधान करें। कृषि विज्ञान केन्द्र में ओ. पी. डी. बेहतर कार्य करें।

कुलपति डॉ. बिसेन ने कहा कि मध्यप्रदेश को सोया राज्य बनाना, एक वर्ष के समय अंतराल में 3 महत्वपूर्ण पेटेंट प्राप्त करना, 5 वर्ष के अंतराल में 45 उन्नतशील फसलों की किस्मों का तैयार करना एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में गेट परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय, चतुर्थ एवं आठवी रैंक और नेट परीक्षा में 143 छात्र-छात्राओं द्वारा सफलता प्राप्त करना विश्वविद्यालय की कृषि शिक्षा की उत्कृष्टता को दर्शाता है।

विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार

स्थापना दिवस समारोह में लाईफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड-2022 डॉ. चंद्रकांत टेकचदानी पूर्व अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी संकाय जनकृविवि जबलपुर, जनकृविवि स्टार एल्युमिनस सम्मान जवाहर रत्न अवार्ड 2022 डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी पूर्व उप महानिदेशक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान आईसीआर, डॉ. दिनेश कुमार मारोठिया पूर्व अध्यक्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय एवं डॉ पवन कुमार अहिरवार जिला पंजीयक एवं कलेक्टर इंदौर, कृषक फैलो सम्मान-2022 श्रीमती वसुंधरा जयंत मेहता दमोह, श्री ओम ठाकुर सिवनी, श्री सुमित चौरसिया पन्ना और श्री आशीष कुमार जायसवाल जिला सिवनी को प्रदान किया गया।उत्कृष्ट आदिवासी महिला कृषक सम्मान -2022 श्रीमती सोनिया आदिवासी जिला रीवा, श्रीमती रामाबाई आदिवासी जिला टीकमगढ़, श्रीमती दुर्गाबाई जिला धार को दिया गया, बेस्ट टीचर अवार्ड-2021-22 डॉ.अनीता बब्बर प्राध्यापक पौध प्रजनक एवं आनुवांशिकी विभाग कृषि महाविद्यालय जबलपुर एवं बेस्ट स्टूडेन्ट अवार्ड 2021-22 हेतु कुमारी श्रेयांशी सिंह को प्रदान किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड होंगे डिजिटल

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा का हुआ चयन

भोपाल : राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कम्प्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन एप से किए जा सकेंगे। साथ ही कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा म.प्र.

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स'' 31.03.2022 राशि

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
500,000,000.00	**1. अंश पूँजी अधिकृत**	**500,000,000.00**	
	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश		
	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपयें 100.00 प्रति अंश		
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश		
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
503,695,703.00	**''अ'' प्रदत्त अंशपूजी**	**539,895,703.00**	**539,895,703.00**
102,399,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	102,399,990.00	
401,251,670.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	437,451,670.00	
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
503,695,703.00	**ब अभिदत्त अंशपूंजी**	**539,895,703.00**	**539,895,703.00**
102,399,990.00	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	102,399,990.00	
401,251,670.00	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	437,451,670.00	
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश	-	
44,043.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 10.00 प्रति अंश	44,043.00	
	''इ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 5.00 प्रति अंश		
	''फ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
503,695,703.00	**स उक्त में से धारित अंशपूजी**	**539,895,703.00**	**539,895,703.00**
401,251,670.00	''अ'' सहकारी संस्थाओं द्वारा	437,451,670.00	
102,399,990.00	''ब'' राज्य शासन द्वारा	102,399,990.00	
-	''स'' एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	-	
44,043.00	''द'' नाम मात्र	44,043.00	
454,511,475.38	**2. रक्षित कोष एवं अन्य निधियां**	**458,493,681.38**	**458,493,681.38**
61,136,231.25	**अ) वैधानिक कोष**	61,841,249.25	
20,731,669.25	**ब) भवन निधि**	20,731,669.25	
49,555,593.00	**स) कृषि साख स्थायीकरण निधि**	51,713,050.00	
311,147.00	**द) लाभांश समानीकरण निधि**	311,147.00	
2,684,713.17	**इ) विशिष्ट संदिग्ध एवं डूबंत निधि**	2,684,713.17	
2,063,884.30	फ) संदिग्ध एवं डूबंत ऋणार्थ निधि	2,063,884.30	
6,803.00	ज) विनियोग अवक्षयण निधि	6,803.00	
11,626,051.00	ह) पुनः पूंजीकरण खाता (वैधनाथन)	11,626,051.00	
	अन्य निधियां		
65,000.00	1. भंडार कोष	65,000.00	
3,630.00	2. चिकित्सा सहायता कोष	3,630.00	
3,585,363.57	3. जीप कोष	3,585,363.57	
2,850.00	4. अंश प्राप्ति कोष	2,850.00	

लेनदारी 31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
284,127,542.20	**1. रोकड**	235,247,497.29	235,247,497.29
768,240,852.72	**2. बैंक बैलेन्स**	**916,297,672.64**	916,297,672.64
43,871,177.35	1. भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	87,222,850.15	
23,419.02	2. भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली	23,419.02	
1,491,800.25	3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,341,808.75	
372,537,765.40	4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	304,310,786.39	
77,196.77	5. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक मुम्बई	77,196.77	
174,907.48	6. महाराष्ट्रा को–आपरेटिव बैंक नागपुर	174,907.48	
2,523.96	7. बेस्ट बेंगोल को–आपरेटिव बैंक कलकत्ता	2,523.96	
134,410,265.71	8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	118,740,302.66	
22,660,905.32	9. आई.डी.बी.आई. बैंक छिन्दवाड़ा	115,888,734.20	
31,945,816.15	10. ऐक्सेस बैंक छिन्दवाड़ा	4,673,815.13	
14,710,355.74	11. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. जबलपुर	(5,017,562.91)	
26,647,364.57	12. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल (एम.ए.एस.)	(15,086,105.49)	
-	13. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	-	
1,398,438.35	14. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	682,466.35	
-	15. एच.डी.एफ.सी.बैंक छिन्दवाड़ा	20,000,000.00	
97,075,840.18	16. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (आर.टी.जी.एस.)	195,136,023.37	
1,000,000.00	17. आई.सी.आई.सी.आई. बैक छि. (आई एम पी एस)	1,000,000.00	
19,608,624.47	18. आई.सी.आई.सी.आई.बेक छि. (ए टी एम)	86,078,028.81	
604,452.00	19. इंडसइंड बैंक	48,478.00	
987,031,602.00	**3. अन्य बैंकों में**	814,928,532.39	814,928,532.39
453,766,539.00	1. मृददति अमानत शीर्ष बैंक	701,680,189.00	
-	2. रक्षित निधि शीर्ष बैंक	-	
11,168,923.00	3. मुददति अमानत भारतीय स्टेट बैंक छिन्दवाड़ा	11,168,923.00	
-	4. मुददति अमानत आईडीबीआई बैंक	-	
522,096,140.00	5. मुददति अमानत अन्य बैंक	102,079,420.39	
-	**4. बैंको में मॉग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	-	-
1,661,752,500.00	**5. विनियोग**	**2,091,544,700.00**	2,091,544,700.00
	''अ'' केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियॉ		
1,493,342,500.00	1. पुस्तक मूल्य	1,890,034,700.00	
-	2. बाजार मूल्य	-	
-	3. आयुक्त कीमत	-	
	''ब'' अन्य प्रतिभूतियों में		
-	''स'' अन्य सहकारी संस्थाओं	-	
	उक्त पद पांच के अतिरिक्त		
167,835,000.00	''द'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 भोपाल	200,935,000.00	

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
2,328,813.81	5. कर्मचारी उपदान कोष	2,328,813.81	
2,329,800.00	6. आम लाभ कोष	2,329,800.00	
587,248.28	7. जोखिम कोष	587,248.28	
30,000.00	8. लाभांश कोष	30,000.00	
296,499.00	9. धर्मादा कोष	296,499.00	
4,480.00	10. संचालक प्रोत्साहन कोष	4,480.00	
1,304.25	11. वसूली उपहार कोष	1,304.25	
40,000.00	12. कर्मचारी मोटरसाईकल	40,000.00	
27,293,594.00	13. अंश विमोचन निधि	27,857,609.00	
14,000,000.00	14. संगणक कोष	14,000,000.00	
9,547,951.00	15. सहकारी विकास निधि	9,632,553.00	
5,493,935.00	16. प्रशिक्षण निधि	5,550,336.00	
8,787,079.00	17. एक्स ग्रेसिया / कर्मचारी लाभांश	8,787,079.00	
23,000,000.00	18. सीबीएस अनुसार संचित जमा राशि	23,000,000.00	
3,741,018.50	19. बचत बैंक निधि	4,127,530.50	
199,013,000.00	20. पुनर्मुल्यांकन निधि	199,013,000.00	
	21. अतिदेय ब्याज प्राप्त	-	
5,200,000.00	22. प्रोद्योगिकी अंगीकरण निधि	5,200,000.00	
1,043,817.00	23. सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि	1,072,018.00	
	24. अन्य प्रावधान		
	25. ऋण मुक्ति विलम्बित खाता प्रावधान		
	26. कैडर फण्ड प्रावधान		
	27. मानक अस्तियां हेतु प्रावधान		
	28. नान बैकिंग सम्पत्तियां हेतु प्रावधान		
	29. अन्तर शाखा समायोजन हेतु प्रावधान		
	30. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान		
	31. कोर बैकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान		
-	**3. राज्य भागीदारी मूल सहायक कोष**	-	-
7,363,091,349.19	**4. अमानते एवं अन्य खाते**	**7,904,163,968.21**	**7,904,163,968.21**
	''अ'' मुद्दति अमानते खाता		
54,951,424.00	1. रिजर्व फण्ड समिति अमानत	58,385,889.00	
28,267,443.00	2. विशेष डूबन्त निधि अमानत	30,034,165.00	
	3. रिवाल्विंग फण्ड अमानत		
9,824,335.00	4. कर्मचारी जमानत खाता	10,511,158.00	
2,995,027,765.50	5. मुद्दति अमानत खाता व्यक्तिगत	3,072,081,431.89	
191,464,479.72	6. मुद्दति अमानत संस्थाएं	183,989,980.73	
529,405,637.78	7. मुद्दति अमानत समितियां	508,463,827.14	
	8. मुद्दति अमानत अन्य		
4,500,333.69	9. मुद्दति अमानत मैच्यौर्ड बट नाट पेड	4,355,772.69	
32,231,227.55	10. आर्वतक अमानत व्यक्तिगत	31,561,656.00	
-	11. आर्वतक अमानत संस्थांऐ / अन्य		
	12. आर्वतक अमानत अन्य		
	13. काल डिपाजिट खाता		
	14. दोहरी अमानत व्यक्तिगत		
	15. दोहरी अमानत संस्थांऐ		
	16. दोहरी अमानत समितियां		

लेनदारी 31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
100,000.00	''घ'' भारतीय कृषक सह0 समिति नई दिल्ली	100,000.00	
475,000.00	''फ'' कृषक भारतीय सह0 समिति	475,000.00	
-	''भ'' कोर बैकिंग सिर्क्योटी राशि	-	
-	''म'' एम.पी.ई.व्ही. सिर्क्योटी	-	
7,857,724,264.30	**6. ऋण अग्रिम (शेष)**	**9,094,908,785.74**	9,094,908,785.74
7,628,859,700.70	''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	8,874,507,525.55	
-	इसमें से जो प्रतिभूतियां है	-	
-	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये	-	
-	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये	-	
-	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये	-	
157,453,431.47	''ब'' मध्यकालीन ऋण	150,834,482.54	
71,411,132.13	''अ'' दीर्धावधि ऋण	69,566,777.65	
	इसमें से जो प्रतिभूतियां है		
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये		
10,866,735.22	**7. प्राप्ति योग्य ब्याज**	11,112,576.67	11,112,576.67
	इसमें से जो व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	इसमें से कालातीत रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये		
	इसमें से डूबन्त रूपये इसमें से अवमानक		
	कालातीत कृषक ऋण राहत		
4,092,013.66	**8. विनियोगो पर प्राप्ति योग्य ब्याज**	4,092,013.66	4,092,013.66
273,521.00	**9. वसूली योग्य विल्स प्राप्ति अनुसार**	273,521.00	273,521.00
	10. शाखा समायोजन		-
204,370,522.15	**11. भूमि एवं भवन खाता**	204,988,519.15	
27,367,400.58	**12. फर्नीचर फिक्चर्स (डेड स्टाक सहित)**	28,058,189.43	
2,913,902.00	**13. जीप**	2,913,902.00	
-	**14. लीज ऑन लैण्ड**	-	
(24,581,492.67)	संचित अवक्षयण	(26,259,627.14)	209,700,983.44
1,011,073,394.97	**15. अन्य लेनदारियॉ**	**819,465,594.69**	819,465,594.69
-	1. आयकर प्राप्ति योग्य	-	
23,353.93	2. कर्मचारी अग्रिम खाता	14,453.93	
-	3. सण्ड्रीज डेविडर्स	-	
-	4. पुस्तकालय	-	
9,807,284.10	5. कैडर फण्ड खाता	9,807,284.10	
3,097,009.66	6. स्कन्ध प्रपत्र एवं पंजिया	2,432,318.94	
-	7. नगदी कमी शिलक	-	
-	8. कैश इन ट्रांजिट	-	
-	9. विविध ऋण खाता	-	
-	10. खादय निगम गेहूँ खरीद	-	
-	11. वेतन कृषक सहायक	-	
-	10. सर्विस टैक्स	-	

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण पूंजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
	17. दोहरी अमानत अन्य		
	18. अनक्लेम डिपाजिट खाता		
	''ब'' बचत खाता		
2,984,227,322.00	1. व्यक्तिगत खाता	3,428,468,398.99	
294,427,934.49	2. सहकारी अधिकोष	274,541,702.58	
143,862,309.81	3. अन्य संस्थाएं	162,573,539.13	
	''स'' चालू खाता		
24,550,140.70	1. व्यक्तिगत खाता	31,196,497.58	
13,986,955.97	2. सहकारी अधिकोष	20,724,882.20	
12,037,074.91	3. अन्य संस्थाएं	12,929,971.05	
44,326,965.07	4. सी.सी./ओ.डी. में जमा शेष	74,345,096.23	
27,624,769.10	**''द'' अन्य अमानत**	93,328,357.01	93,328,357.01
486,765.00	1. जी.एस.एल.आई. क्लेम जबलपुर	574,136.00	
2,787,765.00	2. ग्रेच्युटी जमा	1,943,374.00	
24,066,734.10	3. अन्य जमा	**90,518,918.01**	
283,505.00	4. सुरक्षा जमा और निविदा	291,929.00	
2,997,718,747.68	**5. ऋण देय (ठव्त्त्व्फ्छळद्ध**	3,507,618,747.68	3,507,618,747.68
8,864,077.98	1. रिजर्व बैंक/ शीर्ष बैंक	8,864,077.98	
2,985,000,000.00	**''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष**	3,494,900,000.00	
	1. इससे जो प्रतिभूतियां है		
	2. ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. अल्पकालीन सामान्य		
	2. अल्पकालीन आदिवासी		
	3. मध्यावधि कनवर्सन		
	4. कैश केडिट गेहूँ खरीद		
	5. कैश केडिट धान खरीद		
	6. मुद्दति अमानत तारण ऋण शीर्ष बैंक		
	7. मुद्दति अमानत तारण ऋण केनरा बैंक छिंदवाड़ा		
	8.मुद्दति अमानत तारण ऋण यूनियन बैंक छिंदवाड़ा		
-	**''ब'' मध्यकालीन**		
	इससे जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	1. मध्यकालीन परिवर्तित सामान्य		
	2. मध्यकालीन परिवर्तित आदिवासी		
	''स'' राज्य शासन से		
	1. इससे से जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अनुमोदित प्रतिभूतियों से रूपये		
	2. लम्बी अवधि का ऋण		
	इसस जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	'शासकीय तथा अन्य अनुमोदित		
	प्रतिभूतियों से रूपये		

लेनदारी 31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण सम्पत्तियां	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
-	11. शीर्ष बैंक से प्रापणीय	-	
7,122,999.00	12. राज्य शासन से ऋण मुक्ति की लेय राशि	7,122,999.00	
-	13. इम्प्रेस्ट फार पोस्टेज	-	
-	14. अंशदान बचत बैंक	-	
91,227,746.06	15. एलपीजी–केडिट	9,518,453.19	
-	16. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	
-	17. एलआईसी–कमीशन	-	
	18. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य		
-	19. बचत बैंक बीमा गारन्टी प्रापर्णीय	-	
-	20 आयकर अग्रिम भुगतान	-	
-	21. एन.ई.एफ.टी नेफ्ट	-	
-	22. एम.पी.ई.व्ही. सिक्योटी	-	
279,163.20	23. बैंक प्रयोजन अग्रिम	378,755.20	
198,180,305.42	24. अन्य परिसम्पत्तियां (शाखाओं पर धोखाधड़ी और प्रवासन अंतर सहित)	163,557,814.72	
649,325,989.97	25. अन्य	615,689,192.10	
(47,759,523.00)	26. ए.टी.एम. क्लियरिंग सस्पेंस	(92,781,414.00)	
	27. ब्याज प्राप्त होना शेष (डीआर बैलेन्स)		
355,302.76	28. ब्याज देना शेष (डीआर बैलेन्स)	355,302.76	
9,672.96	29. धोखाधड़ी खाता	9,672.96	
3,530,485.66	30. प्रविष्टी होना शेष	1,111,037.96	
22,388,056.66	31. अपलेखन खाता	22,388,056.66	
5,376,348.49	32. यूआईडी जमा राशि	2,956,406.08	
2,676,756.24	33. विनियोगो पर देय प्रिमियम राशि	2,676,756.24	
830,840.58	34. माईग्रेशन अंतर की राशि	830,840.58	
7,579,299.46	35. आईजीएसटी आईटीसी	8,897,131.61	
3,304,018.41	36. सीजीएसटी आईटीसी	3,681,950.78	
3,302,485.41	37. एसजीएसटी आईटीसी	3,680,200.79	
50,415,800.00	38. क्लेम फॉर लोरो (CLAIM FOR LORO)	57,138,381.10	
12,795,252,758.13	**योग**		**14,197,571,877.52**

कृते जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

(ए. के. जैन)
प्रबंधक लेखा

(के. के. सोनी)
महा प्रबंधक

(सौरभ कुमार सुमन)
जिलाधीश एवं प्रशासक

स्थान : छिन्दवाड़ा
दिनांक:

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अधीन
कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 010752 सी
(सी.ए. सौरभ श्रीवास्तव)
पार्टनर
स. क्र. 400761 UDIN :

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
	3. पैक्स मल्टी सर्विस सेन्टर		
	4. दीर्घकालीन आवास ऋण		
	5. गोदाम ऋण शीर्ष बैंक		
-	5. अन्य स्त्रोतो से ऋण		
1,563,586.00	7. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा	1,563,586.00	
2,291,083.70	8. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल	2,291,083.70	
	9. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. जबलपुर		
	10. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल (एम.ए.एस.)		
	''द'' मध्यकालीन ऋण शासन		
	1. मध्यकालीन शासन		
	2. पहुंचविहीन सहायता शासन से		
	3. कोल माइन्स कमिशनर से		
273,721.00	6. वसूली योग्य बिल प्राप्ति अनुसार	273,721.00	273,721.00
30,847,109.42	7. शाखा समायोजन	3,575,470.52	3,575,470.52
40,000.00	8. अतिदेय ब्याज रिजर्व	40,000.00	40,000.00
357,123,860.98	9. ब्याज देय खाता	372,527,614.07	372,527,614.07
971,092,550.85	10. अन्य देनदारियां	**1,526,571,439.78**	1,526,571,439.78
	1. विल्स पेयेबुल खाता		
61,755,629.46	2. सभी प्रकार (अस्थाई खाता + अन्य जमा)	47,128,857.23	
	3. म0प्र0 राज्य सह0 विप0 संघ		
22,178.00	4. अंश आवेदन	22,178.00	
	5. आगमित बिल संकलित खाता		
	6. अवितरित ऋण अनुदान		
(4,000.00)	7. अर्नेस्ट मनी	(4,000.00)	
523,066.00	8. एल.आई.सी.–केडिट ;च्डश्रश्रठल्द्ध	640,481.00	
605,594.48	9. कर्मचारी भविष्य निधि	629,473.48	
	10. प्रत्याभूति बन्ध पत्र		
	11. ग्रुप इन्श्योरेश खाता		
39,535.00	12. जीवन बीमा	40,135.00	
-	13. एनआईए–केडिट	-	
	14. सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न वित0अग्रिम		
-	15. डी0डी0 पेयेबुल खाता	-	
	16. आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा से अनुदान प्राप्त		
	17. लिंक समितियों को शासन से क्षतिपूर्ति सहायता		
758,094.70	18. सर्विस टैक्स	969,524.20	
2,545,000.00	19. टी.डी.एस.	3,381,997.12	
300,000.00	20 देय खर्चों के लिए प्रावधान	2,585,937.00	
	21. सेल कलेक्शन बीज		
-	22. ओ.डी. नेफ्ट		
	23. म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड		
	24. पूल फण्ड		
	25. काम के बदले अनाज योजना		
	26. सूखा प्रभावित कृषको को अनुदान		
	27. धान खरीदी सकंलन		
	28. कृषि प्रोत्साहन		

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)
दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''
हानि–लाभ पत्रक 2021–2022

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण हानि	राशि रू.	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
632,181,212.22	**1. ब्याज दिया**			**666,474,935.67**
444,701,204.22	''अ'' ब्याज दिया अमानतो पर		**433,002,671.67**	
		433,002,671.67		
182,584,776.00	''ब'' ब्याज दिया ऋणो पर		**226,536,631.00**	
		226,536,631.00		
4,895,232.00	''स'' निधि पर व्याज		**6,935,633.00**	
		6,935,633.00		
100,542,519.24	**2. स्थापना व्यय**		**105,483,599.78**	**105,483,599.78**
64,948,215.68	1. वेतन उपवेतन		**64,090,803.02**	
		64,090,803.02		
6,557,996.00	2. भविष्य निधि योगदान		**6,185,260.00**	
		6,185,260.00		
500,000.00	3. कर्मचारी ग्रेच्युटी प्रीमियम भुगतान		**100,000.00**	
		100,000.00		
22,090.00	4. कर्मचारी यात्रा भत्ता		**38,456.00**	
		38,456.00		
251,744.96	5. डाकतार टेलीफोन व्यय		**235,798.20**	
		235,798.20		
1,726,209.78	6. प्रिंटिग एवं स्टेशनरी व्यय		**2,705,830.64**	
		2,705,830.64		
236,989.74	7. विधि सलाहकार व्यय		**556,630.00**	
		556,630.00		
13,411,034.74	8. किराया कर बीमा प्रकाश व्यय		**12,619,523.80**	
		12,619,523.80		
51,300.00	9. अंकेक्षण शुल्क		**1,382,770.00**	
		1,382,770.00		
	10. अन्य व्यय			
570,892.85	''अ'' प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन		**508,530.01**	
		508,530.01		
385,371.08	''ब'' जीप डीजल मरम्मत व्यय		**657,908.61**	
	.	657,908.61		
4,073,090.53	''स'' विविध व्यय खाता		**9,171,902.46**	
		9,171,902.46		
-	''द'' वर्दी व्यय		-	
-	''इ'' संघ चन्दा व्यय		-	
		-		
-	''फ'' डेड स्टाक मरम्मत		-	
		-		

31.03.2021 (राशि रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व	राशि रू.	31.03.2022 (राशि रू.)
	29. मध्यान्ह भोजन चावल कमीशन		
	30. ऋण माफी/राहत राशि		
	31. कैश केडिट/अल्पावधि केडिट बैलेन्स		
	32. बचत बैंक बीमा गारन्टी योजना		
	33. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य		
-	34. प्रोफेश्नल टैक्स		
108,906.00	35. परिवार कल्याण कोष	75,664.00	
716,630.00	36. मार्जिन मनी	716,630.00	
12,256.73	37. सी.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
-	38. आई.जी.एस.टी. देय		
12,256.73	39. एस.जी.एस.टी देय (आर.सी.एम)	12,256.73	
	40. अतिशेष ब्याज		
	41. ब्याज देय		
2,168.49	42. इफको फर्टिलाईजर	2,168.49	
	43. आई.डी.बी.आई. से उधार ग्रहण		
56,115,114.49	44. एटीएम पीओएस समाशोधन	36,390,085.24	
1,475,070.40	45. प्रविष्टि होना शेष	3,430,670.26	
805,033,558.85	46. अनुप्रयोज्य आस्तियों एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	1,100,533,558.85	
24,779,813.00	47. प्रयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान	24,779,813.00	
16,291,678.52	48. दुर्बल अस्तियो एवं अन्य अस्तियो के प्रावधान	304,109,303.95	
-	49. आयकर प्राबधान		
-	50. लाभ पार्किंग खाता (पिछला वर्ष)	-	
357,723.56	51. सी.जी.एस.टी देय	538,858.52	
357,723.56	52. एस.जी.एस.टी देय	538,858.52	
20,594.70	53. आई-जी.एस.टी देय	36,732.46	
88,497,429.71	**11. संचित लाभ खाता**	208,916,825.13	208,916,825.13
	88,497,429.71		
	(295,553,007)		
	12. विनियोजन		
	1,861,248.00		
12,795,252,758.13	योग		**14,197,571,877.52**

कृते जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

(ए. के. जैन)
प्रबंधक लेखा

(के. के. सोनी)
महा प्रबंधक

(सौरभ कुमार सुमन)
जिलाधीश एवं प्रशासक

स्थान : छिन्दवाड़ा
दिनांक:

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अधीन
कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 010752 सी
(सी.ए. सौरभ श्रीवास्तव)
पार्टनर
स. क्र. 400761 UDIN :

590,669.26	''ग'' जीप किराया		**207,093.82**	
		207,093.82		
547,019.62	''ह''. भवन मरम्मत व्यय		**471,404.73**	
		471,404.73		
6,669,895.00	''ह''. कोर बैकिंग सॉफटवेयर फीस		**6,551,688.49**	
		6,551,688.49		
1,638,776.28	**3. अवक्षयण**		**2,025,224.21**	**2,025,224.21**
-	1. डेड स्टाक पर		**-**	
323,685.39	2. वाहन पर		**275,133.08**	
58,557.00	3. भवन पर		**114,500.70**	
1,256,533.89	4. फर्निचर पर		**1,635,590.43**	
-	5. जमीन लीज		**-**	
-	**4. कैडर फण्ड अंशदान**		**-**	**-**
-	**5. प्रायर पीरियड आयटम व्यय**		**-**	**-**
137,100,000.00	**6.दुर्बल अस्तियो हेतु प्रावधान**		295,500,000.00	**295,500,000.00**
	7. कोर बैकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान			**-**
	8. वेतन देय हेतु प्रावधान			**-**
34,288,408.00	9. पूर्व वर्ष आयकर समययोजन		**-**	**-**
	10. एफ.बी.टी. टैक्स			**-**
	11. ग्रेच्युटी प्रावधान			**-**
16,291,678.52	**12. अन्य आस्तियॉ हेतु प्रावधान**		**287,817,625.43**	**287,817,625.43**
-	**13. मानक आस्तियॉ हेतु प्रावधान**			**-**
-	**14. संदिग्ध डूबन्त हेतु प्रावधान**			**-**
	15. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान			**-**
3,785,823.00	**16. आयकर प्रावधान**		**-**	**-**
300,000.00	**17. अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान**			**-**
-	**18. कषि समामेलप हेतु प्रावधान**			
-	**19. सोसायटी फण्ड हेतु प्रावधान**			
-	**20. LOSS ON SALE NOT VEHICLE**			
2,820,073.00	**18. लाभ खाता**		**295,553,006.84**	-
928,948,490.26	योग			**1,357,301,385.09**

कृते जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

(ए. के. जैन)
प्रबंधक लेखा

(के. के. सोनी)
महा प्रबंधक

(सौरभ कुमार सुमन)
जिलाधीश एवं प्रशासक

स्थान : छिन्दवाड़ा
दिनांक:

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अधीन
कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 010752 सी
(सी.ए. सौरभ श्रीवास्तव)
पार्टनर
स. क्र. 400761 UDIN :

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा (म0प्र0)
दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''
हानि–लाभ पत्रक 2021–2022

31.03.2021 (राशि रू.)	क0 विवरण लाभ		राशि (रू)	31.03.2022 (राशि रू.)
910,774,464.38	1. ब्याज प्राप्त खाता	-		1,043,159,023.58
741,335,520.12	''अ'' ब्याज प्राप्त ऋणों पर		880,876,071.90	
		880,876,071.90		
169,438,944.26	''ब'' ब्याज प्राप्त विनियोगों पर		162,282,951.68	
		162,282,951.68		
160,000.00	2. लाभांश प्राप्त अंशो पर		3,321,719.18	3,321,719.18
		3,321,719.18		
4,697,045.28	3. कमीशन एवं विनियम दलाली		3,884,346.79	3,884,346.79
		3,884,346.79		
-	4. जीप खाता		-	-
		-		
79,600.00	5. लाकर्स किराया		58,700.00	58,700.00
		58,700.00		
4,584,131.00	6. अन्य आय		3,729,813.00	3,729,813.00
		3,729,813.00		
6,900,345.60	7. प्रवेश, प्रशा.,मूल्यां,नेफट, क्लोजर चार्ज		7,594,775.70	7,594,775.70
		7,594,775.70		
1,752,904.00	8. प्रायर पीरियड आयटम	-	-	-
928,948,490.26	योग			1,061,748,378.25

कृते जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

(ए. के. जैन)
प्रबंधक लेखा

(के. के. सोनी)
महा प्रबंधक

(सौरभ कुमार सुमन)
जिलाधीश एवं प्रशासक

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अधीन
कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. 010752 सी
(सी.ए. सौरभ श्रीवास्तव)
पार्टनर
स. क्र. 400761 UDIN :

स्थान : छिन्दवाड़ा
दिनांक:

SAURABH SHRIVASTAVA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office : S-4, Raja Parisar, Plot No. 29-A, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal-462011
Tele/Fax : 0755 - 2552099, 4252099;
Mobile : 9425007484; 9425211410
Email : ssaa.ca@gmail.com, mailparul@gmail.com
Website : www.ssaaca.com

आई आर ए सी अनुपालन -अंकेक्षण प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं की जिला सहकारी बैंक मर्यादित,छिन्दवाडा ने वर्ष **2021-22** में आर बी आई /नाबार्ड द्वारा लागू आई आर आर ए सी नियमो का अनुपालन किया है।

उपरोक्त प्रमाणन हमें प्रदत्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण एवं सम्बंधित संलग्नक /परिशिष्ट के आधार पर जारी किया गया है एवं उक्त प्रमाणन हमारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ एवं आक्षेपों के अधीन है, जिनका उल्लेख स्वतंत्र लेखा परीक्षा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर), संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में किया गया है।

कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN 010752C

सौरभ श्रीवास्तव
M.R.N-400761
भागीदार
दिनाँक: 22 अगस्त, 2022
UDIN: 22400761APUNLP5341

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

अंकेक्षण वर्गीकरण पैमाना (अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट क्र.-6) के आधार पर प्राप्त अंको के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता हैं की जिला सहकारी बैंक मर्यादित, छिन्दवाडा को वर्ष **2021-22** के लिए "**ब**" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण हमें प्रदत्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण एवं सम्बंधित संलग्नक /परिशिष्ट के आधार पर जारी किया गया है जो हमारे अंकेक्षण टिप्पणियाँ एवं आक्षेप के आधीन है जिनका उल्लेख स्वंतंत्र लेखा परीक्षा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल. एफ. ए .आर), संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में किया गया है।

कृते सौरभ श्रीवास्तव एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN 010752C

सौरभ श्रीवास्तव
M.R.N-400761
भागीदार
दिनाँक: 22 अगस्त, 2022
UDIN: 22400761APUNLP5341

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) ''तालीका तीन'' फार्म ''अ''

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2022 अन्त पर (01–04–2021 से 31–03–2022)

स्थिति विवरण पत्रक — *पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि	राशि
1,000,000,000.00		1. अंशपूंजी			1,000,000,000.00
		1. अधिकृत अंशपूंजी			
		''अ''वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''ब'' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''स'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		''द'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		2. जारी की हुई अंशपूंजी:			
		''अ'' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''ब'' वर्ग के अंश रू0 1000 प्रतिअंश			
		''द'' वर्ग के अंश रू0 100 प्रतिअंश			
		3. प्रदत्त अंशपूंजी:			
1,507,806.00		अंशों में प्रतिअंश रू0	100	1,520,106.00	
653,394,900.00		अंशों में प्रतिअंश रू0	1000	701,443,400.00	
198,386,100.00		अंशों में प्रतिअश रू0	1000	198,386,100.00	
		4. उक्त (3) में से धारित			901,349,606.00
1,507,806.00	15078	नाममात्र सदस्यों द्वारा	15201	1,520,106.00	
653,394,900.00	653395	समितियों द्वारा	701443	701,443,400.00	
198,386,100.00	198386	राज्य शासन द्वारा	198386	198,386,100.00	
853,288,806.00					**901,349,606.00**
	2.	रक्षित निधि एवं अन्य निधियां:			566,615,172.52
173,520,235.00		1. रक्षित निधि		185,508,403.00	
146,445,488.00		2. कृषि साख स्थिरता निधि		158,031,754.00	
35,389,000.00		3. भवन निधि		36,813,894.26	
156,724.31		4. लाभांश समीकरण निधि		156,724.31	
2,173,110.00		5. सहकारिता विकास निधि		3,611,690.00	
		6. अन्य कोष एवं निधियां			
14,932,375.26		अ. सामान्य रक्षित निधि		14,932,375.26	
3,385,895.30		ब. फर्नीचर एवं डेडस्टाक निधि		3,385,895.30	
3,688,516.22		स. वाहन निधि		3,688,516.22	
10,891,450.74		द. कर्मचारी कल्याण निधि		9,884,119.74	
3,955,917.43		क. अमानत गारंटी फण्ड		3,955,917.43	
1,144,302.00		ख. भवन एव साजसज्जा निधि		1,144,302.00	
192,500.00		ग. प्रतिभावान छात्रों के लिये पुरूस्कार प्रावधान		192,500.00	
1,000,000.00		घ. सह.संस्थाओं के गोदाम भवन निर्माण हेतु प्रावधान		1,000,000.00	
24,339,164.00		च. कोर बैंकिंग हेतु निधि		24,339,164.00	
39,667,245.00		छ. कम्प्यूटर स्थापना निधि		39,667,245.00	
10,426,832.00		ज. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि		11,194,074.00	
1,600,000.00		झ. सुरक्षा निधि		1,600,000.00	
1,000,000.00		य. विनियोजन अस्थिरता निधि		2,500,000.00	
71,120,665.00		र. रिवेल्युएशन रिजर्व		64,008,598.00	
-		ल. शासकीय अंशपूंजी वापसी हेतु प्रावधान		1,000,000.00	
	3.	मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधिखाता अंशपूंजी के लियेः			
-		अ. केन्द्रीय सह0 अधिकोष		-	
-		ब. प्रा0कृषि सह0साख संस्थायें		-	
-		स. अन्य समितियां		-	

स्थिति विवरण पत्रक — *सम्पति तथा लेना 31 मार्च 2022*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक / सम्पत्ति एवं लेना		राशि	राशि
989,964,411.31	1. रोकड़:–			1,355,471,767.63
	नगदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तथा राज्यसहकारी अधिकोष में:–			
207,638,853.60	अ. नगद		518,814,662.30	
85,982,178.90	ब. भारतीयस्टेट बैंक और सहायक बैंक्स में		100,538,619.71	
633,946,895.91	स. राष्ट्रीयकृत बैंक्स में		563,558,449.37	
62,396,482.90	द. म0प्र0 राज्य सह0अधिकोष में		172,560,036.25	
	2. अन्य अधिकोषों में :			5,156,098,004.46
317,494,457.44	अ. चालू खाते में		501,697,616.46	
-	ब. सेविंग खाते में		-	
2,814,474,590.00	स. मुददती अमानतखाते में		4,654,400,388.00	
	3. मांग तथा अल्पकालीन सूचना विनियोग:			
-	टर्म डिपाजिट विथ अपेक्स बैंक		-	
	4. विनियोजन:			2,917,603,281.00
	अ. केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभूति में: (खरीद मूल्य)			
	दर्शनीय कीमत 2,701,267,250.00			
	प्रीमियम पेड 7,035,000.00			
2,404,639,131.00	बाजार कीमत 2,773,582,000.00		2,702,853,281.00	
5,000.00	ब. अन्य जमानती प्रतिभूतियों पर		5,000.00	
214,745,000.00	स. अन्य सहकारी संस्थाओं के अंशों में (नीचे के 5 को छोडकर)		214,745,000.00	
-	द. नान एस. एल. आर. बाण्ड (आई0डी0बी0आई0 रेग्युलर इनकम बाण्ड)		-	
	5. राज्य भागीदारी की मुख्य/सहायक पूंजी			
-	क. अंशपूंजी में विनियोग:		-	
-	ख. केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	-	
-	ग. प्राथ0कृषि सह0साख संस्थायें	-	-	
-	घ. अन्य सह0समितियां	-	-	
	6. ऋण: /अग्रीम			7,980,389,181.70
8,537,902,384.52	अ. अल्पा0ऋण नगदी साख अधि0 तथा बिलों में जो प्रतिभूत है		7,671,937,459.47	
	1. शास0एवं अन्य अनु0 प्रति0पर			
	2. अन्य ठोस प्रतिभूति			
	इनमें से व्यक्तिगत	-		
	इनमें से कालातीत	-		
	घटिया आस्तियां	212,826,000.00		
	संदिग्ध आस्तियां	627,439,000.00		
	घाटा उठाने वाली आस्तियां	27,428,000.00		
208,852,644.65	ब. मध्या0ऋण जो प्रतिभूत है		150,125,862.74	
	1. शास0 एवं अन्य अनु0प्रति0पर			
	2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रतिभूति			
	इनमें से व्यक्तिगत	-		
	इनमें से कालातीत	-		
193,892,688.01	स. लम्बी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है		158,325,859.49	
	1. शास0एवं अन्य अनु0प्रतिभूति पर			
	2. अन्य ठोस प्रति0 में से प्रति 1			
	इनमें से व्यक्तिगत	-		
	इनमें से कालातीत	-		
-	द. कंसोरटियम फायनेन्स अपेक्स बैंक के माध्यम से		-	
	इनमें से कालातीत	-		

स्थिति विवरण पत्रक — *पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
	4.	**अमानतें एवं अन्य खातेः–**		13,367,478,220.44
		1. मुद्दती अमानत:		
3,513,853,106.74		1. व्यक्तिगत	3,546,617,193.45	
-		2. केन्द्रीयसह0 अधिकोष	-	
2,924,946,184.45		3. अन्य समितियां	2,911,665,008.93	
		2. सेविंग अमानत:		
5,512,166,599.17		1. व्यक्तिगत	5,862,494,175.69	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
609,376,121.29		3. अन्य समितियां	845,283,612.48	
		3. चालू अमानत:		
88,855,830.22		1. व्यक्तिगत	81,028,786.94	
-		2. केन्द्रीय सह0 अधिकोष	-	
54,394,133.34		3. अन्य समितियां	120,389,442.95	
		4. मांग एवं अल्पसूचना अमानत		
	5.	**ऋण देना –**		1,696,612,238.00
		1.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकोष		
653,500,000.00		अ. अल्पा.ऋण नगद साख एवं अधिविकर्ष जो प्रतिभूत हैं ।	1,678,900,000.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु. प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर –		
22,282,000.00		ब. मध्यवाधि ऋण जो प्रतिभूत है	17,135,000.00	
		1. शास.एवं अन्य अनु.प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
925,698.00		स. लंबी अवधि ऋण जो प्रतिभूत है –	514,266.00	
		1. शास. एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर		
		2. अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर		
-		2. भारतीय स्टेट बैंक –	-	
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
-		3. राज्य शासन से	-	
		अ. अल्पाकालीन ऋण		
		ब. मध्यकालीन ऋण		
		स. लम्बी अवधि ऋण		
		4. अन्य स्त्रोत से		
297,254.00		अ. एकीकृत सह.विकास परियोजना	62,972.00	
-	6.	शाखाओं का जमाखर्च		-
218,117,092.04	7.	ब्याज जो देना है		205,718,403.05
	8.	**प्रावधान**		709,122,386.11
30,000,000.00		1. मानक आस्तियों के लिये रिजर्व	31,000,000.00	
317,882,386.11		2. संदिग्ध एवं डूबंत ऋणनिधि	552,882,386.11	
84,000,000.00		3. कालातीत ब्याजकोष	84,000,000.00	
8,660,000.00		4. विनियोजन ह्रास निधि	8,660,000.00	
11,000,000.00		5. ऋण असंतुलन निधि हेतु	26,000,000.00	
6,080,000.00		6. कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिए संचय	6,580,000.00	
	9.	**अन्य देनदारियां विवरण:**		344,029,717.50
20,906.00		क. देय लाभांश	10,469,981.00	
99,275,169.66		ख. किरकोल अमानत	182,184,849.82	
35,326,510.89		ग. फुटकर देनदारियां	28,841,939.63	
154,225,326.59		घ. समायोजन (एडजंस्टीग अकाउण्ट देना)	82,715,901.72	
3,308,858.00		ड. कर्मचारी भविष्यनिधि	1,886,256.00	
-		च. बिल्स पे–एबल	-	

स्थिति विवरण पत्रक — *सम्पत्ति तथा लेना 31 मार्च 2022*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	सम्पत्ति एवं लेना	राशि	राशि
12,665.00	**7.**	**डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.)**	-	167,705.00
199,966,082.88	**8.**	**प्राप्ति योग्य ब्याज**		205,612,106.02
		इसमें से कालातीत	61,485,802.88	
977,562.66	**9.**	**शाखा समायोजन**		42,979,957.65
	10.	**भवन**	90,830,071.21	
85,504,691.00		*(घसारा निधि जो कम की गई)*	13,875,850.21	76,954,221.00
	11.	**फर्नीचर फिक्चर्स –**	55,458,097.96	
23,228,224.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	31,891,040.96	23,567,057.00
		अ. जीप कार	6,061,839.50	
1,892,942.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	4,547,485.50	1,514,354.00
		ब. लॉकर्स	9,304,771.25	
4,617,499.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	4,852,022.25	4,452,749.00
		स. कम्प्यूटर	41,153,686.49	
1,976,648.00		*(घसारे की रकम जो कम की गई)*	38,440,988.49	2,712,698.00
	12.	**अन्य सम्पत्तियां:**		103,602,885.91
824,984.00		अ. केन्द्र शासन से ऋण राहत की रकम लेना बाकी	824,984.00	
12,302.00		ब. त्यौहार अग्रिम	23,202.00	
800.00		स. दौरा अग्रिम	800.00	
1,785,381.75		द. अन्य अग्रिम	965,566.75	
19,824,550.29		क. समायोजन	27,401,357.58	
2,685,496.14		ख. स्टाक फार्म व रजिस्टर	2,358,431.54	
16,962.00		ग. लॉकर किराया लेना बाकी	16,962.00	
59,065.00		य. एम0पी0ई0बी0 में डिपाजिट	59,065.00	
20,284,746.55		र. आयकर लेना बाकी	22,606,482.44	
-		ल. एटीएम रिसिव्हेबल	2,348,990.00	
33,961.00		व. आर.बी.आई.डिप.अका.लेना बाकी	104,278.00	
1,516,553.40		श जी. एस. टी. रिसिव्हेबल	3,131,608.40	
1,908,697.00		स IMpS लेना बाकी	3,356,968.78	
250,000.00		ह एन इ एफ टी/आर टी जी एस लेना बाकी	40,404,189.42	
-	**13.**	**नान बैंकिंग असेट्स के दावों के भुगतान से प्राप्त**	-	-
-	**14.**	**लाभ एवं हानि**	-	-
16,049,350,120.60		**म हा यो ग**		**17,871,125,968.37**

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C

(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र॰ सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र॰ प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र॰मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता, इन्दौर

स्थिति विवरण पत्रक *पूंजी एवं दायित्व 31 मार्च 2022*

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	पूंजी एवं दायित्व	राशि	राशि
9,973,150.00		छ. कर्म0को बोनस/एक्स0 देना बाकी	10,806,155.00	
1,250,000.00		ज. आडिट फीस देना बाकी	1,152,000.00	
1,968,597.50		झ. केडर फण्ड	289,045.50	
23,621.73		ण. पैमेंटआर्डर पे–एबल अकाउन्ट	23,621.73	
3,199,749.77		य. बैंकर्स चेक पेएबल अकाउन्ट	2,504,361.77	
1,252,196.58		र. कर्मचारी उपादान निधि	1,252,196.58	
2,203,705.00		ल. इनकम टेक्स देना बाकी	2,203,705.00	
2,199,264.34		व. डी.डी. पै–एबल अकाउन्ट	2,175,864.34	
9,081,453.52		श केश क्रेडिट सभाओं का क्रेडिट बैलेन्स	15,691,003.11	
-		ष डिफर्ड टेक्स लायबिलिटज	-	
200,207,260.58		स एन इ एफ टी देना बाकी	-	
199,468.01		ह जी. एस. टी. पे–एबल	1,236,643.30	
2,742,833.00		क्ष IMpS/ATM देना बाकी	596,193.00	
		10. लाभ–हानि:		80,200,224.75
57,721,746.98		गत स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार लाभ	68,237,417.81	
40,189,002.98		(–)कम किया, जो अंकेक्षण वर्ष में वितरित किया गया	47,952,671.26	
17,532,744.00		शेष संचित लाभ	20,284,746.55	
50,704,673.81		(+)जोड़ो इस वर्ष का लाभ जो लाभ हानि पत्रक से आया	59,915,478.20	
		11. आकस्मिक देनदारियां		
-		1. दी गई प्रत्याभूति के विरूध्द देय राशि	-	-
-		2. अन्य	-	-
16,049,350,120.60		**महायोग**		**17,871,125,968.37**

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C
(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र॰ सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र॰ प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र॰मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालिका तीन" फार्म "ब"
31.03.2022 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	खर्च का विवरण	राशि	राशि
752,276,651.34	1.	अमानत तथा ऋण पर ब्याज	721,629,950.85	
195,208,909.25	2.	वेतन और भत्ते तथा भविष्य निधि	183,454,722.75	
-	3.	संचालक मण्डल एवं स्थानिय समितियों के, सदस्यों का शुल्क एवं भत्ता	-	
26,841,217.90	4.	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यय	27,383,982.70	
503,929.00	5.	विधि व्यय	279,958.00	
959,925.98	6.	डाक, दूरलेख एवं दूरभाष व्यय	215,297.62	
1,353,450.00	7.	अंकेक्षण शुल्क	765,950.00	
9,190,593.66	8.	सम्पत्ति पर घसारा एवं दुरूस्ती	10,930,612.61	
1,427,615.23	9.	लेखन सामग्री, छपाई एवं विज्ञापन	1,478,692.32	
-	10.	नान बैंकिंग असेट्स के बेचान से हानि	-	
8,498,783.62	11.	अन्य व्यय (केडर फण्ड में, राज्य, जिला सह. संघ को चंदा व अन्यखर्च)	11,372,812.92	
9,822,571.34	12.	कोर बैंकिग	8,783,579.16	
5,214,765.39	13.	जी. एस. टी. भुगतान	8,680,355.32	
435,850.00	14.	प्रीमियम दिया शासकीय प्रतिभूतियों	435,850.00	
100,000,000.00	15.	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष में प्रावधान	235,000,000.00	
-	16.	प्रो.फॉर ऋण असन्तुलन निधि	15,000,000.00	
1,000,000.00	17.	मानक आस्तियों की निधि के लिये प्रावधान	1,000,000.00	
-	18.	प्रावधान कर्म0को बोनस/एक्स0 देना बाकी	300,000.00	
500,000.00	19.	कृषि विकास एवं गृह निर्माण ऋण के लिये संचय	500,000.00	
19,217,041.10	20.	वर्ष 2021–22 में आयकर के लिये प्रावधान	20,075,255.18	
162,789.00	21.	डिफर टेक्स लायबेलिटिज के लिये प्रावधान	-	
50,704,673.81	22.	शुध्द लाभ वर्ष 2021–2022	59,915,478.20	
1,183,318,766.62		***कुल योग***	***1,307,202,497.63***	***1,307,202,497.63***

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C
(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र॰ सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र॰प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र॰मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 29) "तालिका तीन" फार्म "ब"
31.03.2022 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि पत्रक (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक)

गतवर्ष की रकम	क्रमांक	आमदानी का विवरण	राशि	राशि
1,166,467,669.54	1.	ब्याज एवं बट्टा	1,288,696,666.03	
1,291,940.90	2.	कमीशन विनिमय एवं दलाली	2,344,552.69	
-	3.	अनुदान एवं दान	-	
-	4.	नान बैंकिंग असेट्स के कय विकय से लाभ	-	
15,559,156.18	5.	अन्य प्राप्तियां	16,006,238.91	
-	6.	डिफर्ड टैक्स असेट्स (डी.टी.ए.)	155,040.00	
-	7.	हानि यदि हो	-	
1,183,318,766.62		**कुल योग**	**1,307,202,497.63**	**1,307,202,497.63**

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसबीए एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 004651C
(C.A. विकास जैन)
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक :

(ओ.एस. भावर)
प्र॰ सांख्यिकी अधिकारी

(अशोक नागोर)
प्र॰प्रबन्धक(लेखा)

(अनिल हर्षवाल)
प्र॰मुख्य कार्यपालन अधिकारी

(मदन गजभिये)
प्रशासक एवं उपायुक्त
सहकारिता, इन्दौर

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्यगण,

इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड,

इन्दौर (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 21 दिनांक 31-03-1916 है, के संगठन वित्तीय विवरणों जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र तथा इस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता विवरणी एवम् महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित है, का लेखा-परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों में निगमित हमारे द्वारा अंकेक्षित 29 शाखाओं का विवरणियाँहै।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

1. बैंक का प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणों, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिये लागू होता है), म.प्र, सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 और संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना क्रियान्वयन एवं रख-रखाव सन्निहित है, जो एक सही एव निष्क्ष स्थितीं प्रस्तुत करते है तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

2. हमारा दायित्व हमारे द्वारा कि गई लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है, हमने हमारी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा जारी लेखाकन मानकों के अनुरूप की गई है। यें मानक अपेक्षा करते है कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुये लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और सम्पन्न करे कि इन वित्तीय विवरणीयों के सही एवम् किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन प्रकट हो सके।

3. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे वित्तीय विवरणीयों में दी गई राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सके। इन कियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमे वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण होने से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आंकलनो मे लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणियों के निर्माण एव प्रस्तुतिकरण में समिति के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते है, जो कि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार कि उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिये है, जो सही एवम् निष्पक्ष चित्रण कर सके। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों कि उपयुक्ता का आकलन एवं प्रवंधतंत्र द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन भी शामिल होता है।

4. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमान के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिये आधार उपलब्ध कराता है,

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमतके लिए आधार (Basis for Qualified Opinion)

5. बैंक ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया (ICAI) द्वारा लेखांकन मानक 3 (रोकड़ प्रवाह विवरण), लेखांकन मानक 17 (खंड विवरणी), लेखांकन मानक 20 (प्रति अंश आय), एवं लेखांकन मानक 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताए एवं आकस्मिक संपत्तियाँ) अ नुपालन और सूचना के प्रकटीकरण का अनुसरण नहीं किया है।

6. अंकेक्षण के दौरान सम्पत्तियों (अग्रिमो) के सही वर्गीकृत करने की प्रक्रिया मे दोष पाया गया है। हम सम्पत्तियों (अग्रिमो) के सही वर्गीकरण जोकि मानक, गैर निष्पादक, अवमानक और संदिग्ध सम्पत्तियों में होनी चाहिए, अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) esaekuoh; gLr{ksigksus ds dkj.krFkkगलत प्रविष्ठि होने के कारण सही वर्गीकृत करने में असमर्थ है |हम अभियन्त्रिक तंत्र (कम्प्यूटरीकृत CBS) व्यवस्था में गैर निष्पादक संपत्तियाँ (NPA) कि प्रविष्ट गलत होने के कारण गैर निष्पादक संपत्तियां (NPA) के सभी वर्गीकरण जो कि अवमानक औरसदिग्ध संपत्तियों (Sub Standard & Doubtful Assets) किया जाना था, को कम्प्यूटरीकृत (CBS) व्यवस्था द्वारा सत्यापित करने मे असमर्थ है एवं उसके परिणाम स्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (Provision for bad and doubtful debts) के प्रभाव को निश्चित करने में असमर्थ पाते है |इसके अतिरिक्त गैर निष्पादक संपत्तियों (NPAa/c) मे कोई राशि जमा हो जाने उसके वर्गीकरण मे होने वाले बदलाव को सत्यापित करने मे असमर्थ है। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्पत्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण कम्पुटर सिस्टम के द्वारा निकाले गये ब्याज और ना निकाले गये ब्याज की राशि की गणना करना संभव नहीं है | हमें यह भी बताया गया कि गैर निष्पादक सम्पत्तियों (NPA) की राशि पर प्रावधान हस्तलिखित अभिलेख के आधार पर किया गया चुकि अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख और हस्तलिखित अभिलेख में अंतर है अतः अभियन्त्रिक तंत्र (CBS system) अभिलेख में ब्याज के आय की राशि की गणना को सही नहीं माना जा सकता। उक्त के कारण तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक मे होने वाले प्रभावों की गणना मे असमर्थ है।

7. बैंक के तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्तिथि मे संपत्तियों की ओर अकाउंट एजस्टमेंट Adjusting account receivable मे राशि 151.22 लाख तथा देयताओ की और मे Adjusting account Payable मे राशि 827.16 लाख Suspense Deposits (जिसमे सस्पेन्स अकाउंट एवं किर्कोल अमानत इत्यादि जुड़ी हुई है) मे राशि 313.96 लाखकी राशियाँ दर्शाई गई है। उक्त खाते पूर्व के वर्षों मे भी थे। वर्ष के दौरान उक्त खातों मे होने वाले लेनदेन की जानकारी की गणना कर उनका सही विवरण 31 मार्च 2022 की स्तिथि मे देने मे असमर्थ है।

8. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि बैंक के अभिकलित्रतंत्र (CBS) में कुछ खातो(जो कि ब्रांच लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के Annexure – E मे उल्लेखित है) में ब्याज की दर शून्य दर्ज की गयी हैं तथा कुछ खातो में दण्ड ब्याज नहीं वसूला गया हैं, कुछ खातो पर NPA की गलत मार्किंग के कारण ब्याज नहीं वसूला गया हैं, कुछ खातो पर NPA की वसूली को सीधे मूलधन में से कम कर दिया हैं | इन सभी विसंगतियों से बैंक को आय की हानि हुई | बैंक द्वारा प्रदान की गयी जानकारी की कमी के कारण हम ब्याज की राशी निर्धारित नहीं कर पाने में असमर्थ हैं |

9. हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमे दिए गए स्पस्टीकरण के अनुसार 3 समितियों में ऋण असुंतलन वर्ष 2021-22 में पाया गया है| वर्ष 2021-22 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार मूलराशि में 1297.08 लाख,ब्याज में 590.30 लाख एवं असंतुलन 706.78 लाख का पाया गया है|

10. bUnkSj Áhfe;j dks&vkijsfVo cSad fyfeVsM] bUnkSj के फॉर्म नंबर 26AS में 2021-22 में 55,79,457/- रु की आय पाई गयी है परन्तु इस आय को लाभ हानी खाते में नहीं दर्शाया गया है ना ही टी डी एस खाते के बैलेंस को चालू संपत्ति में दर्शाया गया है अतः इसे खातो में संलिप्त किया जाए

Section	Particular	Amount Received	TDS Deducted
194D	AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED	47,72,741	5,30,305
194JB	THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.	14,094	1409
194H	PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY DELHI	1000	50
194C	HDFC ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED	791622	15832
194A	INTEREST ON FDR FROM NATIONALISED BANK		1214069
TOTAL		**55,79,457**	**1261670**

ठसके अतिरिक्त आय तथा व्यय जो कि लाभ–हानि खाते में नहीं दर्शाई गई है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Year	Commission Income 4%	SN	Year	Commission Payable 3%
1	2018-19	4037066	1	2018-19	3508462
2	2019-20	3778032	2	2019-20	3063269
3	2020-21	5769204	3	2020-21	4807670
	-	-	4	2021-22	4173302
	Total	**13584302**		**Total**	**15552703**

उपरोक्त आय तथा व्यय को लाभ हानी खाते में नहीं दर्शाया गया है तथा रू 1214069.00 सावधि जमा पर ब्याज की आय जो कि टीडीएस के कारण खाते में नहीं दर्शाई गई है। अतः इसे खातो में संलिप्त किया जाए इस प्रकारकुलआय मे रु 48,25,124.00 की वृद्धि होगी।

11. हमारे द्वारा जॉचे गए प्रकरणो मे सुविधाओ को बढाने एवं नवीकरण हेतू उपयुक्त कार्यवाही की गई है | कुछ अन्यथा अपवाद स्थिति में मुख्य कार्यालय से स्वीकृति ली जाती है| परन्तु कुछ खातो में ब्रांच द्वारा मुख्यालय से स्वीकृति नहीं ली गयी है| जिसका विवरण शाखा अंकेक्षण रिपोर्ट में दिया गया है।

12. इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौरको आयकर के नोटिस दिए गए है जो पुराने वर्षो से लंबित है तथा कुल डिमांड राशि 3,86,06,558/- रु आ रही है | इसे Contingent Liability के रूप में दर्शाया जाना चाहिये तथा बैंक को इसके लिये

प्रावधान करना चाहिये।

आयकर के डिमांड नोटिस

Year	Demand
2007	1,74,77,007
2010	1,59,617
2011	61,85,210
2017	10,000
2019	1,31,83,000
2020	15,91,724
Total	**3,86,06,558**

13. अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया की बैंक के जी एस टी आर 2A में 73,10,413/- रु की क्रेडिट आ रही है परन्तु बैंक ने 41,14,141/- रु की ही क्रेडिट ली है 66,58,105/-रु की ही क्रेडिटरिवर्सकी है, यानि 34,61,834.00 रु की क्रेडिट अधिक क्लेमकीगयी है साथ ही बैंक ने कम्पोजीशन स्कीम को चुना है तो बैंक को 36,55,207/- रु तक ही इनपुट क्लेम करना चाहिए था परन्तु संस्था ने 4,58,935/- रु अधिक क्लेम किया है इसे रिवर्स किया जाना चाहिए|

14. बैंक के मुख्यालय में वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ संपत्तियां खरीदी गयी परन्तु उपर्युक्त कमियां पाई गयी है| जिनका विवरण निम्न प्रकार है: -

HO Fixed Assets Verification Purchased during the year

Sl no.	Date	Particulars	Amount	Remarks
1	11/06/2021	Laptop	60250.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
2	30/07/2021	Lock	600.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
3	24/09/2021	Air Conditioner	391760.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
4	24/09/2021	LED	93515.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
5	24/09/2021	Fan	43194.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
6	24/09/2021	Chairs	652540.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
7	24/09/2021	Chairs	63012.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
8	24/09/2021	Table	49560.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
9	24/09/2021	Mic set with amplifire & Speaker	122838.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
10	06/10/2021	Wooden Almirah	16018.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
11	06/10/2021	Projector Set	103911.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
12	21/10/2021	Celling Fan	4543.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
13	21/10/2021	Reception Table	19470.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
14	21/10/2021	Tubelight	7352.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
15	21/10/2021	Tubelight LED	44604.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
16	27/01/2022	Room Heater	2200.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
17	03/02/2022	Fan + Tubelight	54138.00	मार्क नहीं हैतथा रजिस्टर में एंट्री कराइ गयी
		HO Addition	**1729505.00**	

15. बैंक में संपत्ति के लेखांकन के सम्बन्ध में खामिया पाई गयी गयी है नाबार्ड से रूपये 5ए70ए000ध्. का अनुदानप्राप्तहुआहैजिसकारण ासम्पत्ति का मूल्य 5,70,000/- रु से घटाया गया है परन्तु संचित हास में इसके प्रभाव को लक्षित नही किया गया है सी बी एस सिस्टम के अनुसार जो वर्षांत पर शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 20,28,08,466/- रु आ रहा है जिस पर वर्ष में कुल हास 72,21,670. रु लगना चाहिए था परन्तु बैंक द्वारा 74,11,652/-रु हास लगाया गया है| इस प्रकार कुल आय में रु 1,89,981.00 की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

16. इन्दौर प्रीमियर को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर ने उपर्युक्त कुल 27 बैंक खाते अन्य बैंक में खुलवाये है तथा 31-03-2022 की दिनांक को उपलब्ध अन्य बैंको में बैलेंस जो बैंक के खातो में 1,33,83,54,721/- रु है तथा बैंक बैलेंस सम्बंधित बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 1,58,40,74,972/- है अतः कुल अंतर -24,57,20,250/- रु है|

Bank Balance in Other Banks

S. NO	NAME OF THE BANK	A/C NO.	BANK BOOK	CONFIRMATION	PENDING FOR RECONCILLATION
1	STATE BANK OF INDIA, GPO	10612345936	2547171.38	2546522.38	649.00
2	STATE BANK OF INDIA - P.Y. ROAD	530472774483	7363126.64	10698111.64	-3334985.00
3	UNION BANK OF INDIA - SANYOGITAGANJ	32630102005001	36949834.86	35249817.16	1700017.70
4	M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. VIJAYNAGAR	687008025176	4452609.51	5224409.62	-771800.11
5	PUNJAB NATIONAL BANK- NEW SABJI MANDI	3990005900000020	117204139.05	303204139.05	-186000000.00
6	M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. - MAS	687099004136	163475060.13	163856142.43	-381082.30
7	CANARA BANK	2074201002458	155662937.62	61794303.62	93868634.00
8	M.P. RAJYA SAHKARI BANK MYDT. - T.T. NAGAR	687002110228	4431516.61	4434516.61	-3000.00
9	YES BANK LTD	4087700000444	161679318.06	173160786.48	-11481468.42
10	CBI NEFT	3266869329	20240831.13	23732196.99	-3491365.86
11	CBI RTGS	3577028870	199570335.97	199973680.76	-403344.79
12	ICICI BANK ATM	388005000014	38598123.50	38698084.11	-99960.61
13	ICICI BANK MALAV PRISAR	4105003220	132774832.41	214385625.12	-81610792.71
14	SBI SIYAGANJ	5020200000718	85081749.98	147010188.78	-61928438.80
15	MP RAJYA SAHAKARI BANK,SPCL A/C	687008025187	200850.00	200850.00	0.00
16	BANK OF INDIA,D.A. MARG	880521100000067	4820471.60	4820309.34	162.26
17	AXIS BANK,ANNAPURNA	912020010137565	66558589.70	66558589.70	0.00
18	INDUSIND BANK	200001322402	31618528.02	31618528.02	0.00
19	ICICI BANK LTD. (IMPS)	388005000016	26747652.73	23531026.98	3216625.75
20	YES BANK LTD (UPI)	4063100000042	2500000.00	2500000.00	0.00
21	HDFC BANK	360380000116	5014250.00	0.00	5014250.00
22	BANK OF BARODA	5020200000718	29109899.14	29109899.14	0.00
23	STATE BANK OF INDIA SANWER	34940681044	969692.23	969692.23	0.00
24	STATE BANK OF INDIA,MHOW	53016620491	2654113.04	2654113.04	0.00
25	AXIS BANK,MHOW	9120200501021344	17161010.64	17161010.64	0.00
26	ICICI BANK , RAU	171705000040	19045311.40	19045311.40	0.00
27	STATE BANK OF INDIA,DEPALPUR	53036750039	1922766.44	1937117.00	-14350.56
	TOTAL		**1338354721.79**	**1584074972.24**	**-245720250.45**

17. बैंक में हेड ऑफिस व अन्य शाखाओ में टी डी एस की डिमांड आ रही है अतः बैंक को टी डी एस के रिटर्न रिवाइज किया जाना चाहिए ट्रेसेस पोर्टल पर लॉग इन करके यह पाया गया की वर्ष के दौरान 24,826/- रु की डिमांड आई है तथा पूर्व वर्षो के लिए 4,42,748/- रु की डिमांड आ रही है इस प्रकार वर्षांत पर कुल डिमांड 4,67,574/- रु आ रहा है|

उपरोक्त डिमांड का प्रारूप सलंग्न है|

Financial Year	Short Payment	Short Deduction	Interest on payment default u/s201	Interest on deduciton default u/s201	Late filling fee u/s 234E	interest u/s 220(2)	Total Default
2021-22	1,215.00	20,112.20	36	663	2,800.00	0	24,826.20
2020-21	0	0	105	0	13,000.00	0	13,105.00
2019-20	0	0	165	0	0	0	165
Prior Years	58,316.00	2,34,387.08	34,961.50	81,713.00	20,059.00	42	4,29,478.58
Total	**59,531.00**	**2,54,499.28**	**35,267.50**	**82,376.00**	**35,859.00**	**42**	**4,67,574.78**

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्राकृतिक खेती को मिशन ....

कृषि विविधता से परिपूर्ण हमारे देश में कृषि की विभिन्न उपजों का उत्पादन देश की मांग के अनुसार करने में इस अभियान से मदद मिलेगी और देश विभिन्न उत्पादों में आत्म-निर्भर हो सकेगा। आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस पर आधारित तकनीकें किसानों के उत्पाद का सही मूल्य दिलाने में मदद करेंगी। साथ ही किसान की आय दोगुनी करने के प्रयासों को संस्थागत स्वरूप में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पात्र व्यक्ति का हक उस तक पारदर्शिता के साथ निर्बाध रूप से पहुँचे, यह सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रतिबद्ध हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में डिजिटल कृषि से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों का मानस बनाने और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्यं। एवं परिवार कल्यापण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभावों को देखते हुए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा है, पर इससे खाद्य सामग्री का पोषण असंतुलन भी बढ़ा है। प्राकृतिक खेती के उत्पाद, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद हैं। इनका मूल्य भी किसानों को अधिक मिलेगा। डिजिटल कृषि से किसान के उत्पाद का वैल्यू एडिशन करने और योजना का लाभ किसानों को सरलता से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बैठक में हुए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर, मूत्र और वनस्पति के उपयोग से रसायन मुक्त पारंपरिक खेती को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्राकृतिक खेती मिट्टी की सेहत और जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अनुकूल है। इसमें लागत भी कम आती है। डिजिटल कृषि पर हुए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि किसानों की डिजिटल आइडेंटिटी निर्मित कर, उनकी भूमि, किसान द्वारा ली जाने वाली फसल और विभिन्न जानकारियों को संबंधित संस्था से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों का डाटाबेस बना कर उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, फसल के लिए "संपर्क रहित-पेपर रहित ऋण'' उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य, इंदौर छठवीं बार देश का स्वच्छतम शहर

भोपाल : भारत सरकार द्वारा करवाये गये स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में हर साल की तरह मध्यप्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किये। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में आयोजित गरिमामय समारोह में मध्यप्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य और इंदौर को देश के स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने इस उपलब्धि पर मध्यप्रदेश को बधाई दी। उन्होंने इंदौर को छठवीं बार स्वच्छतम शहर का अवार्ड मिलने पर कहा कि इंदौर शहर के जन-भागीदारी के प्रयासों को सभी को अपनाना चाहिये। सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड इंदौर सांसद श्री शंकरलाल लालवानी और नगर निगम इंदौर की टीम तथा सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह एवं उनकी टीम ने प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि पर कहा कि प्रदेशवासियों के लिये यह गर्व का विषय है। उन्होंने नागरिकों का अभिनंदन करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भी आभार मानते हैं, जिन्होंने स्वच्छता के संकल्प पर निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया।

खाद्यान वितरण में पारदर्शिता के लिए उचित मूल्य दुकानों का होगा रेण्डम निरीक्षण : प्रमुख सचिव श्री किदवई

भोपाल : खाद्यान वितरण में पारदर्शिता के लिए उचित मूल्य दुकानों का रेण्डम आधार पर निरीक्षण किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि निरीक्षण के लिए खाद्य विभाग के अंतर जिला अमले को तैनात किया गया है। निरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल में जिला कलेक्टर के साथ समन्वय कर राजस्व, सहकारिता एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री किदवई ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम में नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को शक्कर एवं समस्त पात्र परिवारों को नमक का वितरण जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में पाई गई स्थिति को मौके पर ही एम राशन मित्र पोर्टल पर विभागीय अमले के लॉगिन में उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण एप में दर्ज किया जाएगा, जिसका लॉगिन एवं पासवर्ड खाद्य विभाग के अमले को दिया गया है। प्रत्येक दल द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित 4 उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना होगा।

निरीक्षण एप में 4 भागों (ABCD) में जानकारी दर्ज करनी होगी। भाग-ए में उचित मूल्य दुकान खुलने की स्थिति। भाग-बी में उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन। भाग-सी में उचित मूल्य दुकान से सामग्री का वितरण, सूचनाओं का प्रदर्शन सतर्कता समितियों की बैठक एवं उपभोक्ताओं के फीडबैक आदि की जानकारी और भाग-डी में उचित मूल्य दुकान के नाम सहित विक्रेता एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों का फोटो अपलोड करना।

उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के व्यपवर्तन एवं अपयोजन से संबंधित गंभीर अनियमितता पाए जाने पर पृथक से मौका पंचनामा, हितग्राही एवं विक्रेता के कथन, जप्ती आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण को आगामी कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को प्रेषित करते हुए जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा।

18. FLC NABARD खाते में रूपये 4,75,325.00 तथा PDC NABARD खाते में रूपये 24,75,307.00 की राशि नाबार्ड से वेतन के रूप में भुगतान हुये खर्च हेत् राशि शीघ्र मंगवाई जावे।
19. लेखा परीक्षक के रूप में अन्य मामले जो प्रबंधन के नोटिस में लाये जाने है उनका विवरण एलएफएआर / परिशिष्ट – अमें दिया गया है।
20. TFService tax & Service tax head को बन्द किया जाना चाहिये तथा Tax amount हेतु IGST, CGST, SGST A/C को Mapping किये जाने चाहिये।
21. चेक रिटर्न चार्जेस को अन्य बैंकों द्वारा लिये गये चार्जेस के समकक्ष किये जाने चाहिये।
22. लॉकर किराया को अन्य बैंकों द्वारा लिये गये किराये के समकक्ष किये जाकर नान फण्ड इनकम को बढाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये ।

अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमत (Qualified Opinion)

बैंक की लेखा पुस्तको मे यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार तथा हमे दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा उपरोक्त पैरा "अर्हता प्राप्त (क्वालीफाइड) अभिमतके लिए आधार" में वर्णित विषयो के (अनुच्छेद अंक 5 से लेकर 17तक में) अतिरिक्त, हमारे अभिमत मे हम रिपोर्ट करते है कि -

i. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप,सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित है, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत मे सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) कि धारा 31 एवं म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) तथा उसके नियमो के अनुरूप दि. 31 मार्च, 2022 को समिती के क्रियाकलापों का सही एंव निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।
ii. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर आक्षेप सुझाव एवं टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत वित्तीय विवरण बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एवं म.प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमो के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखो में लाभ की सही स्थिती दर्शाता है।

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षा

तुलन पत्र तथा लाभ हानि पत्रक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों के अनुसार बनाये गये है।

उपयुक्त पैरा 1 से 8 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जहाँ तक सहकारी बैंक के लिए लागू होता है) एव म प्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते है कि

हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाएँ गए।

बैंक के लेनदेन, जो कि हमारी जानकारी में आए, समिति के अधिकारों के अंतर्गत पाए गए।

बैंक के कार्यालय से प्राप्त विवरणी लेखा-परिक्षण के उद्देश्य के लिए उचित पाई गई है।

इस रिपोर्ट के साथ दिए गए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि पत्रक बही खातों के साथ समझोते में है।

हमारे द्वारा की गई बैंक की पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर हमारी राय के अनुसार, समिति द्वारा काननी रूप से उचित बहीखाते रखे गये हैं।

वास्ते मे. **एस. बी. ए एण्ड कम्पनी**
(सनदी लेखाकार)
(फर्म पंजीयन क्रमांक : 004651C)

(C.A. विकास जैन)
(भागीदार)
सदस्यता क्र. – 078245
स्थान : इन्दौर
दिनांक: 22-07-2022
UDIN: 22078245ANLXYV1819

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की आमसभा सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की 51 वीं वार्षिक साधारण सभा संघ मुख्यालय में प्राधिकृत अधिकारी श्री के.सी. गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर 2022 को आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री पी.एस. तिवारी, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, श्री बी.एस. शुक्ला, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री अमरेश कुमार सिंह, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक संघ मर्यादित, भोपाल, श्री पी.एन. शर्मा, संचालक, नागरिक सहकारी संघ ग्वालियर, श्री मेहताब सिंह, प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित, खण्डवा तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विषयों का प्रस्तुतिकरण एवं आभार श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के द्वारा किया गया। अध्यक्षीय उद्‌बोधन का मूल पाठ प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने अपने सीमित संसाधनों, न्यूनतम स्टाफ एवं कोविड 19 महामारी के बावजूद वर्ष 2021–22 के प्रशिक्षण में, लीक से हटकर, आनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने के प्रयास किये है।

वर्ष 2021–22 के महत्वपूर्ण कार्य

1. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आत्म निर्भर भारत योजना अन्तर्गत पैक्स एवं विपणन समितियों को बहुसेवा एवं बहुउद्‌देशीय बनाने हेतु एक दिवसीय पुनश्चर्या (Refresher)

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 354 प्रशिक्षित किये गये।

2. पैक्स के प्रशासकों (जो विभागीय अधिकारी हैं) हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सत्र आयोजित कर 433 प्रशिक्षित किये गये।

3. आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत महिलाओं का चहुंमुखी विकास एवं कार्य संतुलन पर 46 महिला अधिकारियों, गोदाम प्रभारियों हेतु आनलाइन प्रशिक्षण अंतर्गत 141 एवं मानव संसाधन अंतर्गत आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य दायित्व विषय पर आधारभूत प्रशिक्षण अंतर्गत 126 को प्रशिक्षित किया गया।

4. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दिनांक 03 जुलाई 2021 को ''सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निमाण'' विषय पर सहकारिता विभाग एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री के माध्यम से ''विभागीय कार्य मैन्युअल का विमोचन कराया गया तथा विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों के हस्ते वृक्षारोपण भी सम्पन्न कराया गया।

5. 68 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2021 ''कोविड महामारी की रोकथाम में सहकारिताओं की भूमिका एवं स्वास्थ्य सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण'' विषय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तरों पर किया गया।

6. राज्य संघ व्दारा संचालित एच.डी.सी.एम. ऑनलाईन पाठयक्रम के प्रथम सत्र का संचालन किया गया।

7.विभागीय कार्यमैन्युअल प्रथम संस्करण, HDCM की पाठ्य सामग्री की 06 विषयों की पुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिका का प्रकाशन, सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग 01 एवं भाग 02 का मुद्रण, पैक्स के प्रशासकों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों पर आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी परिपत्र एवं सहकारी संस्थाओं में आय का रिसाव व नियंत्रण संबंधी पुस्तिका का प्रकाशन। पैक्स संस्थाओं में समर्थन मूल्य पर उपार्जन में समिति को हुई हानि संबंधी आरबिट्रेशन प्रकरण दायर करने हेतु प्रक्रिया आधारित पुस्तिका का प्रकाशन।

8. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य प्रारंभ किया जाकर मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए।

वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित कार्यक्रम

1. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कार्य मैन्युअल का निर्माण प्रक्रियाधीन।

2. शिक्षा प्रशिक्षण की योजना अंतर्गत 30160 को प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित।

3. एच.डी.सी.एम. प्रशिक्षण के आनलाईन सत्र का संचालन।

4. पैक्स का कम्प्युटराइजेशन, ट्रेजरी के सॉफ्टवेयर आई.एफ.एम.एस. का सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण।

5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आर्थिक सहयोग से राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सेमीनार तथा महिला एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु 3–3 दिवस के प्रशिक्षण का आयोजन।

6. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर हेतु जबलपुर के कंटगा में संघ की स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण प्रारंभ होकर कार्य जारी।

7. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव में म.प्र. गृह निर्माण के माध्यम से कार्यालय, अध्ययनकक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण प्रारंभ करना।

8. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में मानव संसाधन उपलब्ध कराना।

9. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाए जाने हेतु क्षेत्रों की पहचान कर कार्यशाला का आयोजन एवं उनकी उपविधियों का निर्माण करना।

कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश अव्वल : कृषि मंत्री श्री पटेल

किसान इस निधि का उपयोग कर विकसित करें अपने संसाधन
इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्य कृषि अवसंरचना निधि कार्यशाला

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि अवसंरचना निधि (आईएएफ) के उपयोग में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल है। इस योजना से किसानों को अधो-संरचनात्मक विकास के लिये अनुदान युक्त लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल से खेती के लिए आधारभूत संरचना का विकास निरंतर हो रहा है। कृषि मंत्री श्री पटेल आज कृषि अवसंरचना निधि सम्बन्धी इंदौर में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इंदौर कृषि महाविद्यालय के डीन डॉ. शरद चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं इंदौर-उज्जैन संभाग के कृषक एवं स्व-सहायता समूह, बीज उत्पादक समितियों सहित कृषि उद्यमियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि देश में कृषि अवसंरचना में सुधार को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एआयएफ) स्कीम का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड दिया गया है, जिसमें प्रदेश को 7 हजार 440 करोड़ रूपये से 12 हजार करोड़ रूपये तक की वित्तीय सुविधा मिलनी हैं। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि योजना के द्वारा जो भी कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, कृषि उत्पादकता समूह, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पैक्स सहित कृषि से जुड़े लोग कृषि अधो-संरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते है, उन्हें 2 करोड़ रूपये की सीमा तक ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि एआयएफ फंड से वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन वेयर हाउस, सायलों, पैक हाउस, विश्लेषण/जाँच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चेंबर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर संभाग में बैंकों द्वारा 126 आवेदनों में 123 करोड़ 19 लाख रूपये की राशि का सत्यापन हो चुका है। इन आवेदनों में बैंकों द्वारा 77 करोड़ 18 लाख रूपये का वितरण किया जा चुका है। यह योजना प्रदेश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मंडी बोर्ड की एम.डी. एवं एआयएफ की राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती जी.व्ही. रश्मि ने बताया कि योजना में 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी (CGTMSE) दी जाती है। योजना में देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता हेतु फसलोपरांत प्रबंधन एवं सामुदायिक खेती संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए उपयुक्त ऋण सुविधा भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त 25 प्रोजेक्ट्स प्रति हितग्राही (विभिन्न विलेज कोड) को दिये जायेंगे। साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार की संबंधित योजनाओं से अनुदान लाभ के साथ अतिरिक्त लाभ भी लिया जा सकता है।

इन कार्यो में ले सकते हैं योजना से लाभ

कृषि अवसंरचना निधि (एआयएफ) योजना में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सोर्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट, प्राथमिक प्र-संस्करण इकाई, साइलोज़, पैकेजिंग इकाई, रायपनिंग चैम्बर, वैक्सिंग प्लांट, दाल मिल, आटा मिल, राइस मिल, कोल्ड प्रेस ऑयल मिल, आर्गेनिक इन्पुट प्रोडक्शन, बायो स्टीमुलेन्ट यूनिट, कस्टम हारिंग सेंटर तथा हाई-टेक हब (ड्रोन प्रोजेक्ट्स) आदि परियोजनाएँ उपलबध है।

जानकारी के लिए यहाँ करें संपर्क

कृषि अवसंरचना निधि (एआयएफ) से लाभान्वित होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। आवेदन के लिए मोबाइल नंबर 90980-39381 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही बेबसाइट www.agriinfra.dac.gov.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का किया शुभारंभ

मंच से ही आवेदकों की समस्याएँ सुन कर निराकरण के दिए निर्देश

ग्राम पंचायत तालपुरा में खुलेगी नवीन उचित मूल्य की दुकान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और आवेदनों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र एवं सामग्री का प्रतीक स्वरूप वितरित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर आमजनों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों से सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए विशेष शिविर लगायें। मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान शिविर में विभिन्न योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 'मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना' का शुभारंभ भी किया। उन्होंने चिन्हित हितग्राहियों से संवाद कर उनके पशुपालन व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। योजना में हितग्राहियों को दो मुर्रा भैंस प्रदाय की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से लाभांवित हितग्राही श्री कमल किशोर पंवार, श्री राकेश कटारे, श्री रामकिशोर अहिरवार सहित अन्य पशुपालकों से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उनके व्यवसाय की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों से भी संवाद कर योजना के लाभ प्राप्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मंच पर प्रश्नोत्तरी संवाद कर शिविर में आए आवेदनों के निराकरण तथा योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तालपुरा सहित अन्य चार ग्राम पंचायतों में विशेष राजस्व शिविर लगा कर राजस्व संबंधी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत तालपुरा में नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। सीहोर जिले के प्रभारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सांसद श्री रमाकांत भार्गव सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना

डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो और वे पशुपालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके, इसके लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। पायलेट प्रॉजेक्ट के तौर पर योजना प्रदेश के तीन जिलों सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है। पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में दो मुर्रा भैंसे उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुर्रा भैंसों की लागत दो लाख 50 हजार रूपए होगी। योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हजार 500 रूपए तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हजार रूपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।

खाद की उपलब्धता के साथ भंडारण और वितरण भी व्यवस्थित हो - मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कुछ स्थानों पर खाद प्राप्त न होने के संबंध में प्राप्त किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए। मध्यप्रदेश को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध करवाने में केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया से भी समय-समय पर चर्चा होती है और प्रदेश के किसानों के लिए उर्वरक की आपूर्ति का कार्य बिना बाधा के होता रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर हुई बैठक में प्रदेश में खाद वितरण कार्य की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में मार्कफेड द्वारा खाद के एक से अधिक विक्रय पाइंट बनाने और स्कंध खत्म होने के पहले भंडारण सुनिश्चित करने पर सहमति हुई। लगातार समीक्षा कर यह कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है।ऐसे में मार्कफेड और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ कि खाद न मिलने की कहीं से भी शिकायत नहीं आए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को आश्वस्त किया जाना आवश्यक है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी स्तर पर इसके उपलब्ध न होने की आशंका के आधार पर अनावश्यक संग्रहण भी न किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों से खाद न मिलने की शिकायतें न मिलें, इसके लिए किसानों से संवाद भी हो। खाद वितरण में कहीं खामी हो तो व्यवस्थाएँ सुधारें। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में उर्वरक की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि कुछ जिलों से जो शिकायतें आई हैं उनका बिना विलम्ब निराकरण करें।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बैठक में वर्चुअली हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले साल इस तरह की शिकायतें नहीं आई थीं। संयुक्त प्रयासों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सभी संबंधित विभाग और संस्थाएँ मिल कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खाद के वितरण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट जरूरी है। संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में उपलब्ध हैं पर्याप्त उर्वरक

अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। केन्द्र सरकार से प्रदेश की माँग पर उर्वरकों की रेक निरंतर मिल रही हैं। हाल में हुई समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सहकारिता क्षेत्र में यूरिया, डीएपी उर्वरकों की 70 प्रतिशत से कम मात्रा का उठाव किया गया है। जिला विपणन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नगद विक्रय केन्द्र पर खाद के इच्छुक किसानों के लिए व्यवस्थित प्रबंध सुनिश्चित करें। प्रदेश में अप्रैल से लेकर 11 अक्टूबर तक यूरिया 19.09 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 9.80 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 3.42 लाख मीट्रिक टन और एसएसपी 8.58 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है। गत वर्ष से इस वर्ष आलोच्य अवधि में प्रत्येक उर्वरक का अधिक भंडारण हुआ है। लेकिन विक्रय गत वर्ष से कम है और शेष स्कंध की मात्रा यूरिया 2.51 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 1.98 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 1.31 लाख मीट्रिक टन, एसएसपी 3.50 लाख मीट्रिक टन है। इस महीने प्राप्त होने वाली संभावित उर्वरक मात्रा 11.84 लाख मीट्रिक टन है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।